



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6640/2025

Abdul Salim S/o Jumma Tajak, R/o Ward No. 3, Kot Mohalla,
Near Shahido Ki Masjid, Kaithun, Police Station Kaithun, District
Kota (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail Kota,
District Kota).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7992/2025

Dr. Subhash Bhardwaj S/o Sh. Harishankar, R/o Lohamandi
Bhaganta District Agra, Hal A-74, Subhash Colony, Kherli Phatak
Thana Bheemganjmandi Kota. (At Present Lodged In Central Jail
Kota Since 01/02/2025)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nitin Kumar Sharma, Adv. Mr. Abhishek Bhardwaj, Adv. Mr. Gaurav Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Sandeep Pathak, Adv. for Income Tax Department Mr. Om Prakash Kharra, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

09/12/2025

प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु
पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस



थाना-कैथून, कोटा ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-30/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भा.दं.सं. में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होकर एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत हुए हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। वे करीब 11 माह से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण में अनुसंधान होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण के दौरान परिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध हो चुकी है, शेष विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 17.11.2025 को निदेशक (अनुसंधान) आयकर विभाग को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया गया था, जिसकी पालना में अधिवक्ता श्री संदीप पाठक उपस्थित हैं, परन्तु दिनांक 17.11.2025 के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.12.2025 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया है, अतः अब आयकर विभाग को सुना जाना उचित नहीं है।

हस्तगत मामले में दोनों अभियुक्तगण पर आरोप है कि उन्होंने आपसी षडयंत्र रचकर दूसरे के स्वामित्व की भूमि में भूखण्ड सृजित कर परिवादी से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर तेरह लाख रुपये की धोखाधड़ी की। यद्यपि अभियुक्तगण का आपराधिक रिकॉर्ड है, परन्तु वर्तमान मामले में वे करीब 11 माह से अभिरक्षा में हैं, महत्वपूर्ण गवाहान के बयान भी हो चुके हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी



किये बिना प्रार्थी-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **1. अब्दुल सलीम पुत्र जुम्मा ताजक तथा 2. डॉ. सुभाष भारद्वाज पुत्र हरीशंकर** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J